पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//विज्ञापन//

क्र. 112 /सा.प्रशा./12 रायपुर, दिनांक 07/01/2012

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय, रायपुर में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के रिक्त पद पर अधिकतम 11 माह के लिए संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र पंजीबद्ध डाक से नीचे दर्शाए गए प्रपत्र के अनुसार दिनांक 25.01.2012 तक आमन्त्रित किये जाते है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा :–

क्रं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या				शैक्षणिक योग्यता
			अनारक्षित	अजजा.	अजा.	अपिव.	
1	डाटा एन्ट्री आपरेटर	7400/– निश्चित वेतन	06 (02महिला)	03	02	01	1) कक्षा 12 वी (10+2) द्वारा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वी बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। 2) डाटा एन्ट्री आपरेटर/ प्राग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति।

टीप :–

1. उपरोक्त पदों के अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रू. 200/- एवं अजजा./अजा. के अभ्यर्थियों के लिए रू. 100/- राष्ट्रीकृत बैंक का बैक ड्राफ्ट अथवा विश्वविद्यालय कोष में नकद जमा कर रसीद की प्रति जो कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से देय हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यह राशि किसी भी परिस्थिति में लौटाई नहीं जावेगी।
2. लिफाफे के ऊपर संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन पत्र लिखा जाना होगा।
3. पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
4. पदों को भरने या न भरने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
5. आवेदक को छत्तीसगढ़ मूल निवासी होना अनिवार्य है।
6. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रं. एवं दिनांक उल्लेख करते हुए प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
7. सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। जिन वर्गो को पूर्व में अधिकतम आयु सीमा में उनके वर्ग के आधार पर छूट दी जावेगी, जो अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए छ.ग. शासन द्वारा जारी महिलाओं को आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।
8. आरक्षण का लाभ सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही प्राप्त होगी। अजजा., अजा., एवं अपिव. के अभ्यर्थियों को अपना स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर से अथवा छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर तत्संबंध में अधिकृत अधिकारी/प्राधिकारी से सत्यापित कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

आदेशानुसार

(के.के. चन्द्राकर)
कुलसचिव

पृ. क्र. 113 /सा.प्रशा./12 रायपुर, दिनांक 07/01/2012

प्रतिलिपि :–

1. संपादक .... प्रेस रायपुर ।
2. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी
3. वित्त विभाग
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित ।

उप कुलसचिव (प्रशा.)

C:\Users\rsu 3\Documents\Advert\Advert. 2.doc 8

आवदेन पत्र

प्रति,

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

आवेदक वर्तमान की स्वयं द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करे।

आवेदित पद का नाम - डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)

1. आवेदक का नाम :- ....
2. पिता/पति का नाम :- ....
3. जन्म तिथि (अंकों में) :- ....
   (शब्दों में) :- ....
4. जाति - अजा/अजजा/अपिव/सामान्य :- ....
5. स्थायी निवास का पता :- ....
   :- ....
   :- ....
   :- ....
6. पत्र व्यवहार का पता :- ....
   :- ....
   :- ....
   :- ....
   :- ....
7. संपर्क के लिये एसटीडी कोड तथा दूरभाष क्र. :- ....
8. छ.ग. राज्य के रोजगार कार्यालय का नाम :- ....
   व जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक/दिनांक :- ....
   :- ....
   :- ....

9. शैक्षणिक योग्यता :-

क्रमांक	परीक्षा का नाम (शैक्षणिक/व्यवसायिक)	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	बोर्ड/वि.वि. का नाम	श्रेणी	प्राप्त अंकों का प्रतिशत

10. यदि किसी संस्था में कार्यरत है/कार्य किए है तो उसका विवरण :- ....
....
....
....

11. संलग्न किये गये सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची :- ....

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है, कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन के उपरांत भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।

दिनांक ....
स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर